

प्रेस नोट

जनपद-संतकबीरनगर

दिनांक 12.10.2025

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अन्तर्गत थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अन्तर्गत महिलाओं / बालिकाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा ***श्री जयप्रकाश दूबे*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 513/2025 धारा 87, 137(2), 65(1), बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता साहिद पुत्र समशाद निवासी चपरा पूर्वी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को चपरा पूर्वी पेट्रोल पम्प के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनांक 10.10.2025 को थाना धनघटा पर वादी की नाबालिग पुत्री को अभियुक्त उपरोक्त द्वारा भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धनघटा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए, त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 12.10.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण*-** उ0नि0 चौकी प्रभारी बिडहरघाट श्री लाल बिहारी निषाद, का0 सुमित कुमार।

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***01- थाना बेलहरकला पुलिस*** द्वारा 01- वारण्टी नाम पता शत्रुधन निषाद पुत्र राम अधारे निवासी निघुरी थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री ब्रम्हानन्द, का0 रविन्द्र निषाद, का0 राजूराम।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 11 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 321 वाहनों से 4,03,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 12.10.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 321 वाहनों से 4,03,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

